

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	एवन कुमार निषाद
पिता/पति का नाम	:-	झुमका राम निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3001</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अमन कुमार सोनवानी
पिता/पति का नाम	:-	सुदन राम सोनवानी
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3002</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मुकेश कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	बुधारू यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3003</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चंदन सिंह ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	तुलसी राम ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3004</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पासु कुटारे
पिता/पति का नाम	:-	वंशी लाल कुटारे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3005</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय किशन
पिता/पति का नाम	:-	बिंसी किशन
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3006</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अन्तर्यामी मटारी
पिता/पति का नाम	:-	हेमन्त मटारी
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3007</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आकाश यदु
पिता/पति का नाम	:-	धनेश्वर यदु
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3008</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनोज
पिता/पति का नाम	:-	दिलीप
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3009
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गोर्वधन दास महिलांग
पिता/पति का नाम	:-	दयालुराम
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3010</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	डिगेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	बेनीराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3011</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टीकम सिंग सेन
पिता/पति का नाम	:-	महेश्वर प्रसाद सेन
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3012</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नंद किशोर साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्यामलाल साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3013</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उदल राम
पिता/पति का नाम	:-	हीरा राम
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3014</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आकाश
पिता/पति का नाम	:-	मेहत्तर
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3015</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश कुमार निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:-	सोनुराम निर्मलकर
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3016</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चन्द्रकांत दीप
पिता/पति का नाम	:-	पुरनचंद दीप
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3017
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भोजराम करकेल
पिता/पति का नाम	:-	झड़ीराम करकेल
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3018</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश सतनामी
पिता/पति का नाम	:-	संतराम सतनामी
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3019</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मिथलेश सिन्दुर
पिता/पति का नाम	:-	भोपाल सिंह सिन्दुर
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3020</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जागृति कश्यप
पिता/पति का नाम	:-	पुरन प्रसाद कश्यप
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3021</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामदुलार साण्डे
पिता/पति का नाम	:-	राम शंकर साण्डे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3022</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रविकांत देशलहरे
पिता/पति का नाम	:-	रामदीन देशलहरे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3023</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	किशन कुमार सारथी
पिता/पति का नाम	:-	विजय कुमार सारथी
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3024</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	असलम मंसूरी
पिता/पति का नाम	:-	मो. नसीरुद्दीन मंसूरी
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3025</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राम प्रताप
पिता/पति का नाम	:-	राम कृपाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3026</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रीतम कर
पिता/पति का नाम	:-	अरुण कुमार
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3027</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अमन कुमार कोसले
पिता/पति का नाम	:-	पिताम्बर कोसले
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3028</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय कुमार देवागन
पिता/पति का नाम	:-	नेहरू लाल देवागन
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3029</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त कोसले
पिता/पति का नाम	:-	विजय कोसले
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3030</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गजलाल बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	भेखलाल बंजारे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3031</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पदमलोचन भाई
पिता/पति का नाम	:-	छबीलाल भोई
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3032</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कुमुद कुमार
पिता/पति का नाम	:-	गोविंद
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3033</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नागेश्वर बघेल
पिता/पति का नाम	:-	बंसत कुमार
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3034</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	करुणा बांधे
पिता/पति का नाम	:-	बंशीराम बान्धे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3035</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगराज यादव
पिता/पति का नाम	:-	जितेन्द्र यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3036</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रानू सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	गजलाल बंजारे
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3037</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भूषण निषाद
पिता/पति का नाम	:-	रोशन लाल निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3038</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	डुगेश्वर भरतद्वारा
पिता/पति का नाम	:-	दुखुराम भरतद्वारा
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3039
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विजय
पिता/पति का नाम	:-	नारायण सिंह
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3040</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नीरज कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	मन्नु लाल साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3041</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रान्शु दुबे
पिता/पति का नाम	:-	संतोष दुबे
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3042</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राकेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	सनतराम
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3043</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मुकेश चंद्राकर
पिता/पति का नाम	:-	नंदकुमार चंद्राकर
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3044</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अशोक कुमार
पिता/पति का नाम	:-	जादु लाल
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3045</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नीरज कुमार
पिता/पति का नाम	:-	हरिश्चन्द्र रंगारी
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3046
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमल कुमार
पिता/पति का नाम	:-	रामसिंह नागवंशी
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3047</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भोजराम साहू
पिता/पति का नाम	:-	तिहारुराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3048</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	यादराम ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	धनऊ राम ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3049</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सीताराम चौहान
पिता/पति का नाम	:-	रविलाल चौहान
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3050</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	श्रीमति चन्द्रिका गिरी
पिता/पति का नाम	:-	घनश्याम गिरी
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3051</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेन्द्र खुट्टे
पिता/पति का नाम	:-	वेणुधर खुट्टे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3052
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लिलेश
पिता/पति का नाम	:-	भगवती
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3053</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पूरनलाल
पिता/पति का नाम	:-	भगवानी राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3054</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रूपेश दीवान
पिता/पति का नाम	:-	साधूराम
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3055</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	यमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	मनोहर लाल
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3056</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रितिक पाल
पिता/पति का नाम	:-	पुनाराम पाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3057</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनोहर सोनवानी
पिता/पति का नाम	:-	राजकुमार सानवानी
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3058</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नेतराम साहू
पिता/पति का नाम	:-	पिताम्बर साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3059</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुरज कुमार सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	भागवत सिन्हा
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3060</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनमोहन भोई
पिता/पति का नाम	:-	सतपथी भोई
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3061</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रदीप कुमार
पिता/पति का नाम	:-	होरी सिंह
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3062</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	केदारनाथ यादव
पिता/पति का नाम	:-	नन्द कुमार यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3063</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राकेश कुमार पैकरा
पिता/पति का नाम	:-	लुरसिंह पैकरा
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3064</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हीरामन
पिता/पति का नाम	:-	सुदामा
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3065</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	बुद्धेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	रामचरण साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3066</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आकाश कुमार गुप्ता
पिता/पति का नाम	:-	रामस्वरूप गुप्ता
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3067</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पोखराम निषाद
पिता/पति का नाम	:-	हरिचन्द निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3068</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गीतांजली
पिता/पति का नाम	:-	मुगंन लाल
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3069</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रशांत यादव
पिता/पति का नाम	:-	शंकरलाल यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3070</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	श्रीमति हेमलता बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	किशोर कुमार बंजारे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3071</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जयप्रकाश तारक
पिता/पति का नाम	:-	मोरघ्वज
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3072</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	खेमलाल साहू
पिता/पति का नाम	:-	बिहारी राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3073</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनीष कुमार
पिता/पति का नाम	:-	शंकर मारकण्डे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3074</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संतोष कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	हीरालाल ध्रुव
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3075</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सिद्धेश्वर साहू
पिता/पति का नाम	:-	खेमराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3076</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धरम कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	जगदीश प्रसाद साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3077</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मोनिका
पिता/पति का नाम	:-	बालसिंह
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3078</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	किशन पाल
पिता/पति का नाम	:-	सुकुतराम पाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3079</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मोहम्मद बिलाल हुसैन
पिता/पति का नाम	:-	मोहम्मद मोबिन हुसैन
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3080</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	इन्द्रेश कुमार नाग
पिता/पति का नाम	:-	संतोष
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3081</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुरेश कुमार बाघ
पिता/पति का नाम	:-	कुमामनी बाघ
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3082</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सतीश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	उमेन सिंह
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3083</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगिता शुक्ला
पिता/पति का नाम	:-	अरविन्द शुक्ला
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3084</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कमलनारायण ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्रीमान नाहर सिंह ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3085</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रेमलाल निषाद
पिता/पति का नाम	:-	परदेशी राम निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3086</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पवन कुमार
पिता/पति का नाम	:-	प्यारे लाल
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3087</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भगवती सोनावानी
पिता/पति का नाम	:-	राजकुमार सोनावानी
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3088</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ऋषि प्रसाद सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	पुरुषोत्तम सिन्हा
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3089</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भूपेन्द्र कुमार साहु
पिता/पति का नाम	:-	डुमेश्वर सिंह साहु
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3090</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भोजराम साहू
पिता/पति का नाम	:-	भैयाराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3091</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हितेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	कुलेश्वर प्रसाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3092</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शिवकुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	भागीरथी साहू
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3093</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हमीद खान
पिता/पति का नाम	:-	बहादर खान
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3094</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रेम कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:-	सुखराम पटेल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3095</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनुभव विश्वास
पिता/पति का नाम	:-	एस.एस. विश्वास
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3096</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरीश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	गिरीश साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3097</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ज्योति साहू
पिता/पति का नाम	:-	शिवकुमार साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3098</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुनेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	अगनूराम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3099
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दुर्गेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	गणेश राम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3100</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नीतू
पिता/पति का नाम	:-	तिलोक चंद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3101</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आदित्य कुमार देवदास
पिता/पति का नाम	:-	दसरुराम देवदास
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3102</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुकलाल बघेल
पिता/पति का नाम	:-	परमानन्द बघेल
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3103</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राधिका देवांगन
पिता/पति का नाम	:-	लोकेश देवांगन
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3104</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गौरव पाटकर
पिता/पति का नाम	:-	उत्तम कुमार पाटकर
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3105</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रत्ना ध्रुवंशी
पिता/पति का नाम	:-	ललित ध्रुवंशी
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3106</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रोहित कुमार नायक
पिता/पति का नाम	:-	तुलसी राम नायक
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3107</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	परमेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	रेशमलाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3108</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुचित्रा साहू
पिता/पति का नाम	:-	तारेन कुमार साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3109</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रवीण कुमार
पिता/पति का नाम	:-	कृष्णा राम
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3110</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धन्नु
पिता/पति का नाम	:-	परमानन्द
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3111</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टुमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	शोभाराम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3112</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चेतन राम
पिता/पति का नाम	:-	तुलस राम
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3113</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विधि ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	शिवकुमार ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3114</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भेनू कुमार
पिता/पति का नाम	:-	मुकेश साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3115</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पंकज पोषन
पिता/पति का नाम	:-	शत्रुधन यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3116</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नीतेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	मनसुख लाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3117</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामचंद्र साहू
पिता/पति का नाम	:-	टानिक राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3118</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संतोष कुमार भोई
पिता/पति का नाम	:-	बैसाखु भोई
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3119</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लोमश कुमार बघेल
पिता/पति का नाम	:-	गणेश राम बघेल
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3120</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पवन कुमार मन्नाडे
पिता/पति का नाम	:-	स्व. पुनीतराम
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3121</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शोभना धुव
पिता/पति का नाम	:-	अजयसिंह ठाकुर
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3122</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कोमल राम माण्डले
पिता/पति का नाम	:-	रामकुमार माण्डले
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3123</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सरोजनी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	ललित कुमार ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3124</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मधुबाला
पिता/पति का नाम	:-	राजेश कुमार बागे
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3125</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मणीशंकर साहू
पिता/पति का नाम	:-	चन्द्रकुमार साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3126</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	भौजराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3127</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुष्पा
पिता/पति का नाम	:-	भगतराम
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3128</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेन्द्र दास
पिता/पति का नाम	:-	लोकनाथ
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3129</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अमित कुमार पांडे
पिता/पति का नाम	:-	सीताराम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3130</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय कुमार
पिता/पति का नाम	:-	विनोद कुमार
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3131</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मुकेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	लाल कुमार
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3132
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कौशल कुमार कुम्हारे
पिता/पति का नाम	:-	एफ.एल.कुम्हारे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3133</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संजय कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:-	लालबाबु पटैल
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3134</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शंशाक दुबे
पिता/पति का नाम	:-	सतीष दुबे
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3135</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	फिरत राम पटेल
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामचरण पटेल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3136</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चमन केरकेटा
पिता/पति का नाम	:-	श्री विष्णु ओम
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3137</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तुलसी राम पैकरा
पिता/पति का नाम	:-	रामविलास पैकरा
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3138</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनीषा बारले
पिता/पति का नाम	:-	रूपेन्द्र कुमार
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3139</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तारकेश प्रजाप्रति
पिता/पति का नाम	:-	स्व. श्री राजकमल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3140</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गोपाल प्रसाद साहू
पिता/पति का नाम	:-	जेठुराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3141</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामकुमारी साहू
पिता/पति का नाम	:-	गेंदराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3142</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टेकराम निषाद
पिता/पति का नाम	:-	दुकालूराम निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3143</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रताप सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	पुरन सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3144</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमलाल भारद्वाज
पिता/पति का नाम	:-	श्री समारुराम
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3145</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुभम कुमार वस्त्रकार
पिता/पति का नाम	:-	रेवाराम वस्त्रकार
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3146</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओंकार
पिता/पति का नाम	:-	मनीराम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3147</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनिरुद्ध पटेल
पिता/पति का नाम	:-	कमल लोचन पटेल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3148</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुनील कुमार
पिता/पति का नाम	:-	मुक्तावन
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3149</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सोनिया घल्ले
पिता/पति का नाम	:-	श्री चमन घल्ले
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3150</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चंदा ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	युवराज सिंह
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3151</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राजेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	कन्हैयालाल
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3152</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमलता पटेल
पिता/पति का नाम	:-	श्रीमान तेजराम पटैल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3153</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुषमा मारकन्डे
पिता/पति का नाम	:-	जनक मारकन्डे
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3154</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शनि कुमार सागर
पिता/पति का नाम	:-	रामनिवास सागर
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3155</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनिता नेताम
पिता/पति का नाम	:-	श्री देवलाल नेताम
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3156</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरेन्द्र
पिता/पति का नाम	:-	किशन लाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3157</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कु. ममता श्रीवास
पिता/पति का नाम	:-	छगन लाल श्रीवास
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3158</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	श्रीमती दुर्गा चंद्रकार
पिता/पति का नाम	:-	स्व. खेमनलाल चन्द्रकार
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3159</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दीपक कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामेश्वर बंजारे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3160</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दुर्गा प्रसाद साहू
पिता/पति का नाम	:-	बहुरराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3161</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कृष्ण कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्रीमान सियाराम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3162</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रूपेश सिंह
पिता/पति का नाम	:-	जनसिंह नेगी
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3163</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शशि बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	ताराचंद बंजारे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3164</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल कुमार निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामकुमार निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3165</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरनारायण कुर्रे
पिता/पति का नाम	:-	श्री मोहितराम
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3166</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रीतेश कुमार वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	नीलश्याम वर्मा
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3167</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रमोद
पिता/पति का नाम	:-	सनत कुमार
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3168</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	छगनलाल
पिता/पति का नाम	:-	भगवान सिंह
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3169</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	लिकेश्वर प्रसाद सिन्हा
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3170</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	श्रीमति ममता साहू
पिता/पति का नाम	:-	नारद कुमार साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3171</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कुं. जागृति साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री तिरथ राम साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3172</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भारत कुमार
पिता/पति का नाम	:-	दाऊलाल
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3173</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मधुलिका वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री देवलाल वर्मा
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3174</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अमित कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्रीमान महेश कुमार ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3175</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	इंदु निषाद
पिता/पति का नाम	:-	राहुल निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3176</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नारद कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	राजेश कुमार साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3177</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लोकेन्द्र कुमार वैका
पिता/पति का नाम	:-	मनहरण लाल वैका
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3178</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सागर वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	पवन कुमार
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3179</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	बलदीप बारले
पिता/पति का नाम	:-	अर्जुन लाल
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3180</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कनिका निराला
पिता/पति का नाम	:-	दाऊलाल निराला
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3181</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तेजल साहू
पिता/पति का नाम	:-	शारदा प्रसाद साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3182</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गिरधर
पिता/पति का नाम	:-	श्याम सुंदर
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3183</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	डुमर सिंग यादव
पिता/पति का नाम	:-	भरत लाल यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3184</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	महेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री भूषण
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3185</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धारणी दीवान
पिता/पति का नाम	:-	श्रीमान रमाकांत दीवान
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3186</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रहलाद कुमार चंदेल
पिता/पति का नाम	:-	स्व. राजकुमार चन्देल
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3187</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नागेश निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री बलराम निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3188</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दुर्गा निषाद
पिता/पति का नाम	:-	स्व. ठगन लाल निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3189</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रवीन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री मोहन लाल
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3190</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धनेश गिर गोस्वामी
पिता/पति का नाम	:-	देव गिर गोस्वामी
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3191</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रोशन कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	भागीरथ साहू
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3192</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लोकेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	वीर सिंह
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3193</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योगेश कुमार भांडेकर
पिता/पति का नाम	:-	जहुर लाल भोडेकर
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3194</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रेमशंकर निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री संतोष निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3195</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जया प्रभाकर
पिता/पति का नाम	:-	श्री रूपधर प्रभाकर
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3196</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ठगेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्यामजी धुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3197</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कमलेश
पिता/पति का नाम	:-	दाऊलाल
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3198</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अरविन्द कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री पूनीतराम
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3199</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कुणाल सिंह चौहान
पिता/पति का नाम	:-	मनहरण सिंह चौहान
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3200</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चुनवाई टंडन
पिता/पति का नाम	:-	वासुदेव टंडन
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3201</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेन्द्र कुमार सिदार
पिता/पति का नाम	:-	मोहन सिंह
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3202</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पूजा रानी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	अनिल ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3203</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रीति केशकर
पिता/पति का नाम	:-	पवन दिवान केशकर
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3204</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तुलसी राम साहू
पिता/पति का नाम	:-	नारदराम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3205</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मिथलेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	होमेन्द्र कुमार साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3206</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल कुमार कश्यप
पिता/पति का नाम	:-	पुरुषोत्तम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3207</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	खिलावन राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3208</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गिरीश यादव
पिता/पति का नाम	:-	रामगुलाल यादव
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3209</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टिकेन्द्र सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	भीखम राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3210</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	यमुना साहू
पिता/पति का नाम	:-	खोरबाहरा राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3211</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जय प्रकाश सिदार
पिता/पति का नाम	:-	सीताराम सिदार
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3212</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टिकेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	हृदय राम
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3213</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चंद्रकांत अजगले
पिता/पति का नाम	:-	गरीब राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3214
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनिल ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	नेतराम ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3215</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रघुराज सिंह मधुकर
पिता/पति का नाम	:-	नोगेश्वर मधुकर
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3216</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संदीप कुमार घृतलहरे
पिता/पति का नाम	:-	ईश्वरी प्रसाद घृतलहरे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3217</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सत्यम कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री पवन कुमार
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3218</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	चुन्नी लाल
पिता/पति का नाम	:-	जगदीश
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3219
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उदय राम ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	नैनसिंग ध्रुव
वर्ग	:-	<b>ST</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3220</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धनेश साहू
पिता/पति का नाम	:-	अमृतलाल साहू
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3221</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संजुक्ता साहू
पिता/पति का नाम	:-	भरतलाल साहु
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3222</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कमलेश कुम्हार
पिता/पति का नाम	:-	तुमको कुम्हार
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3223</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुमेध चन्द्राकर
पिता/पति का नाम	:-	नागेश चन्द्रोकर
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3224</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रितु कुमार
पिता/पति का नाम	:-	विक्रम नेगी
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3225</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय कुमार सेवई
पिता/पति का नाम	:-	कमल सेवई
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3226</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विजय कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	स्व. श्री विज्जुराम यादव
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3227</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गजेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	नंदकुमार
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3228</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)	सही/- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति महासमुन्द (छ.ग.)
---	---	--

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ममता
पिता/पति का नाम	:-	राधेश्याम सिंह गौर
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3229</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सतीश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	बिसे मारकण्डे
वर्ग	:-	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3230</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	निखिल कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
वर्ग	:-	<b>GEN</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3231</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लेखराम निषाद
पिता/पति का नाम	:-	चम्पन लाल निषाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3232</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (परीक्षा स्थल में)                      सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राम गोपाल पटैल
पिता/पति का नाम	:-	श्री विष्णु प्रसाद
वर्ग	:-	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>3233</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	साक्षात्कार
आवेदित पद का नाम	:-	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संतोष जोशी
पिता/पति का नाम	:-	मुलवा
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	3234
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	दोपहर 01:00 से सायं 05:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

### :-: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश :-:

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में साक्षात्कार प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा साक्षात्कार समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल साक्षात्कार के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।